it is a Standing Committee the question of its submitting a Report does not arise.

The measures adopted by Government to control inflation include maintaining supplies of essential commodities through public distribution system, import of essential items as feasible, action against hoarders and black-marketeers and fiscal and monetary measures like appropriate selective credit controls, keeping non-food credit growth within prudent limits, and improving fiscal and monetary discipline in the economy.

Financial crisis faced by engineering Export Promotion Council

1192. SHRI RAOOF VALIULLAH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Engineering Export Promotion Council is facing a critical funds situation and if so, whether Government are considering immediate replenishment of funds under the International Price Reimbursement Scheme (IPRS);

(b) what is the amount of claims approved under IPRS which has not yet been cleared for want of funds; and

(c) whether Government are aware that non-clearance of claims has caused serious chash-flow problem and loss of export production and if so, what action Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF COMMERCE AND TOURISM (SHRI ARUN KUMAR NEHRU): (a) to (c) Reimbursement envisaged under the International price Reimbursement Scheme is a continuous process. Claims received under this scheme, some times, may exceed the funds received from Engineering Goods Export Assistance Fund (EGEAF), leading to temporary shortage. As on 12th March, 1990, total approved claims pending for payment were of Rs. 41.93 crores, while, Funds available with the EEPC for disbursement were Rs. 9.35 crores. Subsequently, EEPC received Rs. 15 crores additionally from EGEAF.

शिक्षित व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों को बैंक ऋण

1193. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रोजगार कार्यक्रम के अधीन शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को बैंक ऋण सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में नीति में परिवर्तन करने के लिये विद्यमान नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है ; और

(ख) क्या सरकार ने बैंकों को "विशेष अल्पसंख्यक सैल" खोलने हेतु निर्देश दिये हैं ताकि समान के अल्पसंख्यक वर्ग मे संबंधित लोगों को बैंक ऋण उपलब्ध कराये जा सकें और उन बैंकों की राज्यवार तथा जिलावार संख्या क्या है जिन्होंने इस प्रकार के प्रबंध किये हैं और अभी तक इस प्रकार के प्रबंध न करने वाले बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी और वहां इस प्रकार के प्रबंध कब तक कर लिये जायेंगे ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार (एस०ई०ई०यू०वाई०) योजना के अन्तर्गत व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए पात्र उधारकर्त्ताओं को बैंक ऋण उपलब्ध है और योजना के कार्यान्वयन संबंधी परिचालनात्मक औपचारिकताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 1986 में अल्प संख्यक समुदायों के वास्ते निरंतर पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को विशेष कक्ष स्थापित करने के वास्ते निर्देश जारी किये थे । भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने इन निर्देशों का पालन किया है । बैंकों द्वारा विशेष कक्ष उनके प्रधान कार्यालयों में स्थापित

किए जाते हैं, न कि उनके दूसरे कार्यालयों तथा शाखाओं में ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को "अल्पसंख्यक मेल" खोले जाने के संबंध में निर्देश जारी किया जाना

1194. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिये सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में "अल्पसंख्यक मैल" खोल जाने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तारीख को निर्देश जारी किये थे;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाओं में उक्त निर्देशों का पालन हुआ है और उन बैंकों की शाखाओं के नाम क्या-क्या हैं तथा इस निर्देश के जारी होने के बाद कितनी धनराशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भविष्य के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 24 जुलाई, 1986 के परिपत्र के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अल्प संख्यक समुदायों के लिए ऋण के प्रवाह पर नजर रखने के वास्ते विशेष कक्ष स्थापित करने के लिए अनुदेश दिए थे । अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ऋण के प्रवाह पर नजर रखने और उनके लिए ऋण सहायता का पर्याप्त हिस्सा सुनिश्चित करने के वास्ते बैंकों के प्रधान कार्यालयों में ऐसे कक्ष स्थापित किए गए हैं । सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, उनके द्वारा निर्दिष्ट अल्प संख्यक समुदायों को मंजूर किया गया अग्रिम जून 1987 के अंत की स्थिति के अनुसार 32.03 लाख खातों में 2279.57 करोड़ से बढ़कर जून 1989 के अंत में 46.54 लाख खातों में 3449.45 करोड़ रुपए हो गया है । अल्प संख्यक समुदायों को ऋण प्रदान करने के संबंध में कोई लक्ष्य निधारित नहीं किए गए हैं । बैंक अल्प संख्यक समुदायों के बाहुल्य वाले पता लगाए गए जिलों में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने पर विशेष जोर देते रहे हैं और इसमें उनका कार्यनिष्पादन उत्साहवर्धक रहा है ।

एन० टी० सी० गुजरात को हुआ घाटा

1195. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एन०टी०सी० गुजरात को कितना घाटा हुआ है ;

(ख) उत्पादन में वृद्धि करने के लिये किन-किन क्षेत्रों में श्रमिकों की भागीदारी की अनुमति दी गई है ;

(ग) क्या तकनीकी और अधिकारी यूनियन द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के संबंध में कोई निर्णय ले लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मांगें कब तक पूरी होने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री और साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव) : (क) एन०टी०सी० (गुजरात) लि० की वस्त्र मिलों को वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान हुए निवल घाटे नीचे दिए गए हैं :--

वर्ष	निवल घाटे (करोड़ रु० में)
1987-88 . .	31.02
1988-89 . .	39.28

(ख) मिलों में संयुक्त प्रबंध समितियां कार्य करती हैं । इनमें कामगारों और प्रबंध मंडलों के प्रतिनिधि रहते हैं । यह समितियां मिलों में उत्पादन, उपयोग, दक्षता, उत्पादकता, क्वालिटी, लागत, आदि से संबंधित समस्याओं पर विचार करती है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) वह सही समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है जब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है ।